239

सं0– /XXVIII–5–2014–79/2014

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 20 जून, 2014

विषय–वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प/25/2014–15/18761 दिनांक 17.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालन हेतु अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मदों में **₹862.50** लाख **(₹ आठ करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न हार्ड कॉपी के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या– 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 30.06.2014 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे आगामी त्रैमास में समायोजित कर तदनुसार ही त्रैमासिक आधार पर प्रस्ताव किया जाय।

7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

.....2

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत संलग्नकों में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 27(NP)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 20.06.2014 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : ऑन लाईन एलाटमेन्ट सं0–S1406120156

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0–1107(1)/XXVIII–5–2014–79/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0– 1107/XXVIII–5–2014–79/2014 दिनांक 20 जून, 2014 का संलग्नक

अनुदान संख्या–12

(धनराशि हजार ₹ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्षक	आयोजनेत्तर
1	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
	01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति	
	110– अस्पताल तथा औषधालय	
	15–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
2	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	57500
	03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति	
	110– अस्पताल तथा औषधालय	
	13– राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान	
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
		28750
	कुल योग	86250

(₹ आठ करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र)

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव